न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय)–सीकर

ान–

जगदीश बनाम झाबरमल

म मुकदमा– वाद

मु.नं0– 35 वर्ष 2022

ंक	आज्ञा पत्र	
4.2023	पत्रावली आज दिनांक तारीख से पूर्व राज्य सरकार के मंहगाई राहत कैम्प–2023 के दौरान कैम्प ग्राम कोलिड़ा में पेश हुई। कैम्प के दौरान पक्षकारान के वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । साथ ही वकील वादी एंव प्रति0सं0 1 के वकील ने बहस के दौरान उभय पक्ष को पाबन्द करने हेतु अपनी सहमति प्रकट की। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम घडेलनगर प0ह0 कोलिड़ा तहसील सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 1604 रकबा 0.7000 है0 ख0नं0 2622/1605 रकबा 0.8600 है0 अवस्थित है। इसमें वादी का 57/86 हक हिस्सा एंव प्रति0सं0 2 का 29/86 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है। वादी एंव प्रति0सं0 2 की भूमि के पश्चिम में ख0नं0 2621/1605 रास्ता छोड़कर प्रति0सं0 1 की कृषि भूमि ख0नं0 2620/1605 रकबा 0.2900 है0 अवस्थित है। भूमि ख0नं0 1604 रकबा 0.7000 है0 एंव ख0नं0 ख0नं0 2622/1605 रकबा 0.8600 है0 में भूमि की सुरक्षा के लिए पश्चिम की ओर मिट्टी की डोल बनी हुई है। चूंकि पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद भूमि के पश्चिम की ओर का खातेदार प्रति0सं0 1 रास्ते की भूमि ख0नं0 2621/1605 पर कब्जा करके वादी व प्रति0सं0 2 की भूमि के चारों तरफ लगी हुई मिट्टी की डोल को तोड़ फोड़कर अपनी भूमि में मिलाने का है। इसलिए पक्षकारान के मध्य उक्त विवाद को देखते हुए उभय पक्ष को संयुक्त रूप से पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि दोनों ही अपने–अपने हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त में रहते हुए एक दूसरे के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर सहायक कलक्टर (द्वितीय)सीकर	